Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जोधपुर में सहायक उप निरीक्षक पुलिस 5 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, *28 दिसम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जोधपुर शहर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये आज सोमवार को सालगराम सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जोधपुर कमिश्नरेट को 5 हजार रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जोधपुर शहर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके पिता का दुर्घटना में पांव फैक्चर होने पर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था जिसमें मेडीकल कराने एवं कानूनी कार्यवाही करने की एवज में आरोपी सहायक उप निरीक्षक सालगराम पुलिस थाना शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा 5 हजार रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर शहर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गसिंह राजपुराहित** द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर पुलिस निरीक्षक श्री मनीष वैष्णव एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये **सालगराम** पुत्र श्री भगवानराम, नि0 झटेरा पुलिस थाना सुरपालिया जिला नागौर हाल **सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना शास्त्रीनगर जोधपुर कमिश्नरेट, जोधपुर** को परिवादी से 5 **हजार रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की *टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064 *एवं **Whatsapp** हैल्पलाईन नं.* 94135–02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वाजिब कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।

आरोपी सालगराम